न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश, कोर्ट संख्या–3, सोनभद्र
सत्र परीक्षण संख्या–464 सन् 2021
राज्य बनाम संजय सिंह व अन्य

–:आदेश पत्रकः–

06.06.2022

सत्र परीक्षण पत्रावली पेश हुई। पुकार करायी गयी। पुकार पर अभियुक्त शिवम केशरी हाजिर है। अभियुक्त संजय सिंह जिला कारागार में निरूद्ध है, जरिए वी0सी0 हाजिर है।

बचाव पक्ष की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र 7ख पर उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्तागण को सुना तथा पत्रावली का सम्यक अवलोकन एवं परिशीलन किया गया।

प्रार्थना पत्र 7ख बचाव पक्ष द्वारा इस आशय का प्रस्तुत किया गया है कि प्रस्तुत प्रकरण में दौरान विवेचना संकलित साक्ष्य क्रमशः जे0के0 टायर के दुकान की, लोढ़ी टोल प्लाजा की एवं यदुवंशी ढाबा की सी0सी0टी0वी0 फुटेजतथा लाल बहादुर के मोबाइल नम्बर–6393699089 तथा दिनेश देव पाण्डेय के मोबाइल नम्बर–9695110918 के काल रिकार्डिंग की नकल उन्हें प्रदान नहीं की गयी है। अतः उपरोक्त दस्तावेजों की प्रतियां भी प्रदान की जावें।

अभियोजन की ओर से आपत्ति 08ख प्रस्तुत करते हुए कथन किया गया है कि उपरोक्त समस्त देस्तावेज इलेक्ट्रानिक साक्ष्य हैं, इसलिए उसकी प्रति उपलब्ध कराया जाना उचित नहीं है तथा प्रार्थना पत्र पोषणीय न होने के कारण निरस्त किए जाने की याचना की गयी है।

सुना तथा पत्रावली का अवलोकन किया।

पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि दिनांक 23.09.2021 को सेशन सुपुर्द करते समय विद्वान अवर न्यायालय द्वारा अभियुक्त को समस्त सी0डी0, सी0डी0आर0 व अन्य प्रपत्रों की नकलें प्रदान की जा चुकी हैं जिनकी प्राप्ति के बावत अभियुक्त द्वारा दिनांक 23.09.2021 के आदेश पत्रक पर पृष्ठांकन किया गया है। प्रार्थना पत्र पर बल देते हुए विद्वान अधिवक्ता द्वारा कथन किया गया है कि जो दो सी0डी0 (कम्पैक्ट डिस्क) उन्हें नकल के रूप में प्रदान की गयी थी, वह पूरी सी0डी0 (कम्पैक्ट डिस्क) ब्लैंक व खाली है और उन्हें न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया है। न्यायालय द्वारा उक्त दोनों सी0डी0 (कम्पैक्ट डिस्क) का चलवा कर देखा गया तो वह दोनों ब्लैंक व खाली हैं। अतः **माननीय उच्चतम न्यायालय की विधि व्यवस्था (2021) 10 एस0सी0सी0 598** जिसमें माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा यह अवधारित किया गया है कि न केवल सिर्फ ऐसे अभिलेखीय दस्तावेज/वस्तुएं जिन पर कि अभियोजन भरोसा करता है, अभियुक्त को प्रदान की जानी चाहिए अपितू वह सभी दस्तावेज व वस्तुएं भी प्रदान की जानी चाहिए जिन पर अभियोजन निर्भर नहीं करता है।

अतः उपरोक्त विधि व्यवस्था के प्रकाश में बचाव पक्ष को प्रार्थना पत्र 7ख में वर्णित नकलें प्रदान किया जाना न्यायोचित है।

तद्नुसार प्रार्थना पत्र 7ख स्वीकार किया जाता है तथा आपत्ति 8 ख निस्तारित किया जाता है।

प्रार्थना पत्र 7ख में वर्णित नकलें बचाव पक्ष को नियमानुसार दिलायी जावें।

पत्रावली वास्ते अभियोजन साक्ष्य दिनांक 20.06.2022 को पेश हो। साक्षी जरिए सम्मन तलब हों।

अपर सत्र न्यायाधीश,
कोर्ट संख्या–3, सोनभद्र
06.06.2022